

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2022/ 1880

दिनांक: 25.02.2022

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर),
अलवर, बारां, धौलपुर, करौली एवं कोटा।

विषय: पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश प्रेषित करने हेतु।

महोदय,

पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 580 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा जिला करौली, कोटा, धौलपुर, अलवर, एवं बारां में कुल 14 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। उक्त 14 ग्राम पंचायतों में से अलवर जिले की 4 ग्राम पंचायत लेकडी, चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग के पत्रांक 7146 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा जारी किया जा चुका है। पंचायतीराज विभाग की उक्त अधिसूचना दि. 02.07.2021 से जिला करौली, कोटा, धौलपुर, अलवर, एवं बारां जिलों की पुनर्गठित शेष 10 ग्राम पंचायतों में भी आम चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1.	करौली	सपोटरा	1.	गोठरा
2.	कोटा	सुल्तानपुर	2.	पडासलिया
			3.	खेडलीतवरान
			4.	किशोरपुरा
3.	धौलपुर	बसेडी	5.	बरई
4.	अलवर	रामगढ	6.	ललावण्डी
			7.	खालसा नगर
			8.	खानपुरकलां
5.	बारां	अटरू	9.	मेरमाचाह
			10.	बरलां

उक्त ग्राम पंचायतों में आम चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत की वार्डवार निर्वाचक नामावलियां तैयार की जाएंगी। ये निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर तैयार की जानी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119(5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी।

उक्त 10 ग्राम पंचायतों की प्रारूप निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2022 को किया गया है, के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डवार विभक्त कर तैयार की जानी है। प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु विधानसभा की निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को प्रपत्र 'A' में ग्राम पंचायत के वार्डों के अनुसार विभक्त कर ई-सूची पर अपलोड की जानी है। प्रपत्र 'A' को तैयार कर ई-सूची पर अपलोड किए जाने, प्रोसेस करने, चैक लिस्ट डाउनलोड करने, उसे वैरिफाई करने, फीज करने एवं प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 10.03.2022 निर्धारित की जाती है।

20.02

मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

- :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: -

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	12.03.2022 (शनिवार) को
2.	विशेष अभियान तिथियां	13.03.2022 एवं 20.03.2022
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21.03.2022 (सोमवार) को
4.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	28.03.2022 (सोमवार) तक
5.	पूरक सूचियों की तैयारी	01.04.2022 (शुक्रवार) तक
6.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	04.04.2022 (सोमवार) को

पंचायतीराज संस्थाओं में 08 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव एवं दिनांक 31.01.2022 तक की रिक्तियों पर उप चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु आयोग के पत्रांक 7146 दिनांक 07.02.2022 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त पत्र में अंकित दिशा-निर्देश इन 10 ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे एवं आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऑनलाईन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया उक्त पत्र दिनांक 07.02.2022 के भाग-C के बिन्दु संख्या-11 में दी हुई है। ऑनलाईन आवेदन की सुविधा का संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाए।

भवदीय,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता) 25/02/2022
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 25.02.22

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2022/ 7881-86
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंधक, REIL जयपुर।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग।
5. संस्थापन/स्टोर/लेखा शाखा राज्य निर्वाचन आयोग।
6. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।

अशोक कुमार जैन 25.02.22
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव